



महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात

वर्ष ५, अंक २०]

गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०१९/भाद्र २८-आश्विन ३, शके १९४१
किंमत : रुपये ३७.००

[पृष्ठे ३३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, सन २०१७.— महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१७।

पृष्ठे

२

MAHARASHTRA ACT No. LXII OF 2017.**THE MAHARASHTRA (THIRD SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2017.**

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २१ दिसंबर, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेंद्र जी. भागवत,
प्रभारी सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. LXII OF 2017.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2018.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् “महाराष्ट्र राजपत्र” में दिनांक २१ दिसंबर, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१८ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१८ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध करना आवश्यक है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न, अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम। १. यह अधिनियम महाराष्ट्र तृतीय अनुपूरक विनियोग अधिनियम, २०१७ कहलाये।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिये २ खरब, ६४ अरब, २ करोड़, ३२ लाख, ६२ हजार रुपये निकालना। २. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमों, जो उसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर अनुसूची के स्तंभ दो खरब, चौंसठ अरब, दो करोड़, बत्तीस लाख, बासठ हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०१८ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग। ३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों की सन् २०१८ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान			रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
या अन्य विनियोजन का क्रमांक	कार्य तथा उद्देश्य	लेखा शीर्षक	विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
राजस्व लेखे पर व्यय					
सामान्य प्रशासन विभाग					
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	{ २०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। }	..	९,२५,००,०००	 ९,२५,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग	..	९,२५,००,०००	 ९,२५,००,०००
गृह विभाग					
बी-१	पुलिस प्रशासन।	{ २०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। }	..	२,५०,००,०००	४०,००,००० २,९०,००,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	.. २०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	..	९७,५०,०००	 ९७,५०,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	{ ३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। }	..	१,०१,३६,९०,०००	 १,०१,३६,९०,०००
		कुल—गृह विभाग।	..	१,०४,८४,४०,०००	४०,००,००० १,०५,२४,४०,०००

(१)	(२)	(३)	(४)			
			रुपये	रुपये	रुपये	
	राजस्व तथा वन विभाग					
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	. .	३,७४,९८,०००		३,७४,९८,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ । २२५९, लोक निर्माण कार्य । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	. .	२१,६०,०००	३,३१,५०,०००	३,५३,१०,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, शहरी विकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	. .	५१,६४,०००		५१,६४,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	. .	३०,२०,८०,०००		३०,२०,८०,०००
सी-७	वन ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा । २५५१, पहाड़ी क्षेत्र ।	. .	३,४५,०७,५०,०००		३,४५,०७,५०,०००
कुल—राजस्व तथा वन विभाग ।			. .	३,७९,७६,५२,०००	३,३१,५०,०००	३,८३,०८,०२,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..	४,६६,८६,९८,०००		४,६६,८६,९८,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	..	२,८२,८७,०००		२,८२,८७,०००
डी-५	दुग्ध विकास।	.. २४०४, दुग्ध विकास।	..	१,०००		१,०००
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	२०,०१,०००		२०,०१,०००
कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।		..	..	४,६९,८९,८७,०००		४,६९,८९,८७,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

इ-२	सामान्य शिक्षा।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२०,००,०००		२०,००,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	४०,६१,०७,०००		४०,६१,०७,०००
कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।		..	..	४०,८१,०७,०००		४०,८१,०७,०००

नगरविकास विभाग

एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास। ३०५४, सड़क तथा पुल।	..	१५,४८,०१,०००		१५,४८,०१,०००
कुल—नगरविकास विभाग।		..	..	१५,४८,०१,०००		१५,४८,०१,०००

अनुसूची—जारी

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९, २०१९/भाद्र २८-अश्विन ३, शके १९४१

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	रुपये
वित्त विभाग						
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण। २०४०, विक्रय, व्यापार आदि पर कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	९,५८,००,०००		९,५८,००,०००
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०४७, अन्य वित्तीय सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२१६, आवास।	..	५४,१३,०००		५४,१३,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	..	१,०००		१,०००
कुल—वित्त विभाग।				१०,१२,१४,०००		१०,१२,१४,०००
लोकनिर्माण कार्य विभाग						
एच-३	आवास।	.. २२१६, आवास।	..	७५,००,००,०००		७५,००,००,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीव। ३०५१, क्रीडा तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमानन। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	३,२६,०८,०००		३,२६,०८,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	..	५,०३,४४,०४,०००		५,०३,४४,०४,०००

एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।	. .	४५,००,००,०००		४५,००,००,०००	
कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।			. .	६,२६,७०,१२,०००		६,२६,७०,१२,०००	
जलस्रोत विभाग							
आय-१	ब्याज अदायगियाँ।	. .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .		१,१६,३५,८१,०००	१,१६,३५,८१,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान	. .	१,९८,१८,०००		१,९८,१८,०००	
कुल—जलस्रोत विभाग।			. .	१,९८,१८,०००	१,१६,३५,८१,०००	१,१८,३३,९९,०००	
विधि तथा न्याय विभाग							
जे-१	न्याय प्रशासन।	. .	२०१४, न्याय प्रशासन।	. .	१,००,०८,०००	७,४५,६७,०००	८,४५,७५,०००
कुल—विधि तथा न्याय विभाग।			. .	१,००,०८,०००	७,४५,६७,०००	८,४५,७५,०००	

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग					
के-२	ब्याज अदायगियाँ।	. . २०४९, ब्याज अदायगियाँ।		३,६५,०३,००,०००	३,६५,०३,००,०००
के-४	श्रम तथा नियोजन।	. . २२३०, श्रम तथा नियोजन।	१,१४,७६,०००		१,१४,७६,०००
के-६	ऊर्जा।	{ २८०१, विद्युत। २८१०, उर्जा के अपारम्परिक स्रोत। }	३१,२७,६८,०२,०००		३१,२७,६८,०२,०००
कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।			३१,२८,८२,७८,०००	३,६५,०३,००,०००	३४,९३,८५,७८,०००
ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग					
एल-२	जिला प्रशासन।	. . २०५३, जिला प्रशासन।	५,९०,००,०००		५,९०,००,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	{ २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, उर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सडक तथा पुल। }	२,११,५४,०७,०००		२,११,५४,०७,०००
कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।			२,१७,४४,०७,०००		२,१७,४४,०७,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-२	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम।	२४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम।	८,४३,१८,०००	३०,४१,०००	८,७३,५९,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	१०,८०,९३,०००		१०,८०,९३,०००
कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।			१९,२४,११,०००	३०,४१,०००	१९,५४,५२,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २२१६, आवास। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	१३,८०,०००		१३,८०,०००
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२,१४,३७,२८,०००		२,१४,३७,२८,०००
कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।			२,१४,५१,०८,०००		२,१४,५१,०८,०००

योजना विभाग

ओ-३	ग्राम नियोजन।	२५०५, ग्राम नियोजन।	४,५०,००,००,०००	१५,००,००,०००	४,६५,००,००,०००
-----	---------------	---------------------	----------------	--------------	----------------

(१)	(२)	(३)	(४)		(४)
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२४ जिला योजना—सिंधुदुर्ग।	{	२२०२, सामान्य शिक्षा।	{	.	३,०००
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२११, परिवार कल्याण।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगर विकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०१, कृषि कर्म।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-३२ जिला योजना—सोलापुर।

- २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२११, परिवार कल्याण।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य
 पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
 २२३०, श्रम तथा नियोजन।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०१, कृषि कर्म।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

४,०००

४,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ओ-३४	जिला योजना—कोल्हापुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	४,०००	४,०००

ओ-३६ जिला योजना—नासिक।

- २२०२, सामान्य शिक्षा।
- २२०३, तकनीकी शिक्षा।
- २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।
- २२०५, कला तथा संस्कृति।
- २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
- २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
- २२१७, नगरविकास।
- २२२०, सूचना तथा प्रचार।
- २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
- २२३०, श्रम तथा नियोजन।
- २२३६, पोषण।
- २४०१, कृषि कर्म।
- २४०३, पशुपालन।
- २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।
- २४०५, मत्स्य उद्योग।
- २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
- २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
- २७०२, लघु सिंचाई।
- २८०१, विद्युत।
- २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
- २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
- ३०५४, सड़क तथा पुल।
- ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
- ३४५२, पर्यटन।
- ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

..

३,०००

...

३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
ओ-४०	जिला योजना—जलगाँव।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१,०००	१,०००

ओ-५८ जिला योजना—उस्मानाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२,०००	...	२,०००
-----------------------------	--	----	-------	-----	-------

(१)	(२)	(३)		(४)	
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६०	जिला योजना—हिंगोली।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	७,०००	. . .

ओ-७४ जिला योजना—अमरावती।

- २२०२, सामान्य शिक्षा।
- २२०३, तकनीकी शिक्षा।
- २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।
- २२०५, कला तथा संस्कृति।
- २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
- २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
- २२१७, नगरविकास।
- २२२०, सूचना तथा प्रचार।
- २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
- २२३०, श्रम तथा नियोजन।
- २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
- २२३६, पोषण।
- २४०१, कृषि कर्म।
- २४०३, पशुपालन।
- २४०५, मत्स्य उद्योग।
- २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
- २४२५, सहकारिता।
- २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
- २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
- २७०२, लघु सिंचाई।
- २८०१, विद्युत।
- २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
- ३०५४, सड़क तथा पुल।
- ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
- ३४५२, पर्यटन।
- ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

३३,०००

३३,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
ओ-७८	जिला योजना—यवतमाल।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१,०००	१,०००

ओ-८२ जिला योजना—वाशिम।

- २२०२, सामान्य शिक्षा।
- २२०३, तकनीकी शिक्षा।
- २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।
- २२०५, कला तथा संस्कृति।
- २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
- २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता।
- २२१७, नगरविकास।
- २२२०, सूचना तथा प्रचार।
- २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
- २२३०, श्रम तथा नियोजन।
- २४०१, कृषि कर्म।
- २४०३, पशुपालन।
- २४०५, मत्स्य उद्योग।
- २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
- २४२५, सहकारिता।
- २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।
- २७०२, लघु सिंचाई।
- २८०१, विद्युत।
- २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
- २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
- ३०५४, सड़क तथा पुल।
- ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
- ३४५२, पर्यटन।
- ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

४,०००

४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-८४	जिला योजना—पालघर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०१, कृषि कर्म।			
		२४०३, पशुपालन।	२,०००	...	२,०००
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			
कुल—योजना विभाग। . .			४,५०,००,६४,०००	१५,००,००,०००	४,६५,००,६४,०००

लोक स्वास्थ्य विभाग							
आर-१	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	८,४८,७७,४८,०००	१,३०,९१,०००	८,५०,०८,३९,०००	
कुल—लोक स्वास्थ्य विभाग।				..	८,४८,७७,४८,०००	१,३०,९१,०००	८,५०,०८,३९,०००
चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग							
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	६४,५१,४५,०००		६४,५१,४५,०००	
कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।				..	६४,५१,४५,०००		६४,५१,४५,०००
जनजाति विकास विभाग							
टी-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..		७,४१,९५,०००	७,४१,९५,०००	
टी-२	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	७४,६८,८८,०००		७४,६८,८८,०००	
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जलसंधारण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन।	..	१०,४०,१७,९३,०००		१०,४०,१७,९३,०००	

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	रुपये
		२४२५, सहकारिता। २५०५, अन्य कृषक कार्यक्रम। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। २८५२, उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५५, सड़क परिवहन।				
टी-१	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	. .	३,००,००,०००		३,००,००,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	११,१७,८६,८१,०००	७,४१,९५,०००	११,२५,२८,७६,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .		१२,३३,४०,०००	१२,३३,४०,०००
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५६, सिविल पूर्ति।	. .	१,४१,९२,५४,३७,०००		१,४१,९२,५४,३७,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१,४१,९२,५४,३७,०००	१२,३३,४०,०००	१,४२,०४,८७,७७,०००

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	..	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	१,६१,३८,२३,०००		५५,५०,७९,०५,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	..	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	४६,११,००,०००		४६,११,००,०००
कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग					२,०७,४९,२३,०००		२,०७,४९,२३,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	{	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	४,४६,०४,२७,०००		४,४६,०४,२७,०००	
			२२३६, पोषण।					
कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।					. .	४,४६,०४,२७,०००		४,४६,०४,२७,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..	९०,००,०१,०००	१,०००	९०,००,०१,०००
कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।					९०,००,०१,०००	१,०००	९०,००,०१,०००

कौशल विकास तथा उद्यम विभाग

जेडी-क-१ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	{	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	२,९५,१०,००,०००	२,१५,८२,०००	२,९७,२५,८२,०००
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।				
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।				
कुल—कौशलता विकास तथा उद्यम विभाग।			. .	२,९५,१०,००,०००	२,१५,८२,०००	२,९७,२५,८२,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१०,१८,६९,०००		१०,१८,६९,०००
कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।				१०,१८,६९,०००		१०,१८,६९,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	९,१६,४५,०००		९,१६,४५,०००
जेड घ-४	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	..	२१,८४,००,०००		२१,८४,००,०००
कुल—पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।				३१,००,४५,०००		३१,००,४५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
मराठी भाषा विभाग					
जेड च-२ कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	४,१२,९१,०००	.. .	४,१२,९१,०००
	कुल—मराठी भाषा विभाग।	..	४,१२,९१,०००	.. .	४,१२,९१,०००
विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा विशेष पिछडे वर्गों का कल्याण विभाग					
जेड छ-१ ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..		१,०००	१,०००
जेड छ-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक। सेवाएँ।	२०१६, आवास। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	४,०००	१,०००	५,०००
जेड छ-३ विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा विशेष पिछडे वर्गों का कल्याण।	२२२५, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा विशेष पिछडे वर्गों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२८,,०००		२८,०००
	कुल—विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा विशेष पिछडे वर्गों का कल्याण विभाग।	..	३२,०००	२,०००	३४,०००
	कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	..	२,२९,९७,५४,,०६,०००	५,३१,०८,५०,०००	२,३५,२८,६२,५६,०००

ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय
राजस्व तथा वन विभाग

सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	$\left\{ \begin{array}{l} ४४०६, \text{ वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।} \\ ४४१५, \text{ कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय।} \\ ४७०१, \text{ बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।} \\ ५४७५, \text{ अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर} \\ \qquad \qquad \qquad \text{पूंजीगत परिव्यय।} \\ ६४०१, \text{ कृषि कर्म के लिए कर्ज।} \end{array} \right\}$	. .	१,३७,३५,२२,०००		१,३७,३५,२२,०००	
कुल—राजस्व तथा वन विभाग।				. .	१,३७,३५,२२,०००		१,३७,३५,२२,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	३२,५५,००,०००		३२,५५,००,०००
कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				३२,५५,००,०००		३२,५५,००,०००

नगरविकास विभाग

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय	. .	२,१७,००,००,०००		२,१७,००,००,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
कुल—नगर विकास विभाग			. .	२,१७,००,००,०००		२,१७,००,००,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	१,१८,१७,०२,०००		१,१८,१७,०२,०००
		४२१६, आवास पर पूँजीगत परिव्यय।				
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)			
			रुपये	रुपये	रुपये	
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१७,२६,४९,०००	२२,८५,००,०००	४०,११,४९,०००
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,०००	..	१,०००
कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।			..	१,३५,४३,५२,०००	२२,८५,००,०००	१,५८,२८,५२,०००
जलस्रोत विभाग						
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१२,००,००,४०,०००	..	१२,००,००,४०,०००
कुल—जलस्रोत विभाग।			..	१२,००,००,४०,०००	..	१२,००,००,४०,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	..	१,०००	...	१,०००
	कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।		..	१,०००	...	१,०००

ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग

एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	..	१०,००,००,००,०००	...	१०,००,००,००,०००
	कुल—ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।		..	१०,००,००,००,०००	...	१०,००,००,००,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-५क	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज।	६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज।	..	६,२०,२०,०००	...	६,२०,२०,०००
	कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।		..	६,२०,२०,०००	...	६,२०,२०,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	..	५,०००	...	५,०००
------	---	---	----	-------	-----	-------

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२५ जिला योजना—सिंधुदुर्ग।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	२,०००		२,०००
ओ-३३ जिला योजना—सोलापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	१,०००		१,०००

ओ-३५ जिला योजना—कोल्हापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	२,०००		२,०००
ओ-४१ जिला योजना—जलगाँव।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	२,०००		२,०००

(१)	(२)	(३)	(४)			
			रुपये	रुपये	रुपये	
ओ-४९	जिला योजना—जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१,०००		१,०००
ओ-६१	जिला योजना—हिंगोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१,०००		१,०००

ओ-७५	जिला योजना—अमरावती।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
			..	२,०००		२,०००
		कुल—योजना विभाग।	..	१६,०००		१६,०००
चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग						
एस-४	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	..	८१,१४,९३,०००	.. .	८१,१४,९३,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	..	८१,१४,९३,०००	.. .	८१,१४,९३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये
		जनजाति विकास विभाग		रुपये
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४,२५,५५,०००	४,२५,५५,०००
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	४,२५,५५,०००	४,२५,५५,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग		
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६२१६, आवास के लिये कर्ज।		
		६४२५, सहकारिता के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	३५,९०,००,०००	३५,९०,००,०००
		६८६०, उपभोक्ता उद्योग के लिए कर्ज।		
		७४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर कर्ज।		
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	३५,९०,००,०००	३५,९०,००,०००

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग				
जेड घ-५ शिक्षा, क्रिडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रिडा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,००,००,०००	.. . १,००,००,०००
	कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग।	..	१,००,००,०००	.. . १,००,००,०००
विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग				
जेड छ-४ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२,०००	 २,०००
जेड छ-५ आवास पर कर्ज।	६२१६, आवास पर कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारीयों आदि के लिये कर्ज।	..	५,०००	 ५,०००
	कुल—विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग।	..	७,०००	.. . ७,०००
	कुल—ख-पूंजी लेखे पर व्यय।	..	२८,५०,८५,०६,०००	२२,८५,००,००० २८,७३,७०,०६,०००
	कुलयोग।	..	२,५८,४८,३९,१२,०००	५,५३,९३,५०,००० २,६४,०२,३२,६२,०००